अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 198/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2014/ 00016)

1. चम्पालाल पुत्र स्व. हुलासचन्द जाति अग्रवाल निवासी भीवसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू हाल शंकर राईस मिल, पोस्ट लंका जिला नोगाव (आसाम)
2. अन्नालाल उर्फ आनन्द कुमार पुत्र स्व. हुलासचन्द जाति अग्रवाल निवासी भीवसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू हाल शंकर राईस मिल, पोस्ट लंका जिला नोगाव (आसाम)
3. मन्नालाल उर्फ अमित कुमार पुत्र स्व. हुलासचन्द जाति अग्रवाल निवासी भीवसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू हाल शंकर राईस मिल, पोस्ट लंका जिला नोगाव (आसाम)
4. पप्पु कुमार पुत्र स्व. हुलासचन्द जाति अग्रवाल निवासी भीवसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू हाल शंकर राईस मिल, पोस्ट लंका जिला नोगाव (आसाम)
5. श्रीमती सावित्री बैवा धर्मचन्द जाति अग्रवाल निवासी भीवसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू।
6. इन्द्रचन्द पुत्र धर्मचन्द जाति अग्रवाल निवासी भीवसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू हाल जमुलामुख जिला नोगाव (आसाम)

बनाम **अपीलान्ट्स**

1. परसाराम उर्फ पसाराम पुत्र स्व. लादूराम जाति बाबरी निवासी भीवसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राजस्थान)
2. आसूराम पुत्र स्व. लादूराम जाति बाबरी निवासी भीवसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राजस्थान)
3. हुलास पुत्र स्व. लादूराम जाति बाबरी निवासी भीवसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राजस्थान)
4. लिछमण पुत्र स्व. लादूराम जाति बाबरी निवासी भीवसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राजस्थान
5. हुक्माराम पुत्र स्व. लादूराम जाति बाबरी निवासी भीवसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राजस्थान)
6. बुधकी पुत्री स्व. लादूराम जाति बाबरी निवासीगण भीवसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राजस्थान)
7. स्टेट जरिये तहसीलदार, सुजानगढ जिला चूरू
8. दीपा पुत्री पुत्र स्व. हुलासचन्द जाति अग्रवाल निवासी भीवसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू हाल शंकर राईस मिल, पोस्ट लंका जिला नोगाव (आसाम) (आदेश दिनांक 6.9.2017 द्वारा नाम हटाया गया।)
9. वनवारीलाल पुत्र धर्मचन्द जाति अग्रवाल निवासी भीवसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू हाल जमुलामुख, जिला नोगाव (आसाम) (आदेश दिनांक 6.9.2017 द्वारा नाम हटाया गया।)

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

10 पदमा पुत्र धर्मचन्द जाति अग्रवाल निवासी भीवसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू हाल जमुलामुख, जिला नोगाव (आसाम) **(आदेश दिनांक 6.9.2017 द्वारा नाम हटाया गया।)**

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः 1. श्री नरसाराम जाखड – अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 31–08–2021**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 08.07.2010 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 परसाराम ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर चरू मे अपील पेश कर निवेदन किया कि खं. नं. 187 में तादादी 35 बीधा 15 बिस्वा वाके राही खंदाया तहसील सुजानगढ मे से 15 बिस्वा कृषि भूमि का इन्तकाल तहसीलदार सुजानगढ द्वारा इन्तकाल सं. 73 दिनांक 2.4.2002 गलत तौर पर स्वीकृत किया गया है उसको अपास्त किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.07.2010 द्वारा रेस्पोडेन्ट परसाराम की अपील स्वीकार इन्तकाल सं. 73 दिनांक 2.4.2002 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।
3. उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 के निमित जरिये सम्मन सूचित किये जाने के बाद भी उपस्थित नही हुवे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 8 ता 10 का नाम अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनका नाम हटाने का निवेदन करने पर आदेश दिनांक 06.09.2017 को उनका नाम हटाया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कहा कि रौही मौजा खदाया तहसील सुजानगढ के खसरा नम्बर 187 रकबा 35 बीधा 15 बिश्वा भूमि में से 15 बिश्वा भूमि का नामान्तरण सं. 73 दिनांक 02.04.2002 को अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 8 ता 10 के नाम से सहायक कलक्टर सुजानगढ के दावा सं. सं. 162/96 अनवानी धर्मचन्द आदि बनाम फरसाराम आदि निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2001 की पालना मे दर्ज किया गया था जो सही दर्ज किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील करीब 8 वर्ष बाद मियाद बाहर पेश की गई थी, और अपील मिमो मे 8 वर्ष की

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

देरी का कोई सन्तोषप्रद कारण नही दर्शाया गया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य पुरजोर तरीके से रखा था कि अपील स्पष्ट मियाद बाहर है और मियाद का कोई स्पष्ट कारण अपील मीमो अथवा धारा 5 के प्रार्थना पत्र मे अंकित नही किया गया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने यह बिन्दु नजरअन्दाज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी निर्विवाद रूप से साबित था कि इसी रकबा से संबधित प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहा विचाराधीन है तथा राजस्व मण्डल का स्थगन आदेश भी पारित किया हुआ है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को नही हो सकी क्योकि अपीलान्ट राजस्थान से बाहर रहते है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद मानते हुवे अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर चूरू दिनाक 08.07.2010 को निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया।

प्रस्तुत अपील के क्रम में मियाद के बिन्दु के समर्थन में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र में दर्शाये कारणो पर विश्वास करते हुवे मियाद के बिन्दु को नजर अन्दाज करते हुऐ अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

प्रस्तुत अपील जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 08.07.2010 के विरूद्व पेश की गई है जिसमें नामान्तकरण सं. 73 दिनांक 02.04.2002 को निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम खदाया तहसील सुजानगढ के नामान्तकरण सं. 73 की 83.16 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज थी जिसमें से ख. नं. 187 की 15 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के नाम न्यायालय सहायक कलक्टर सुजानगढ के निर्णय दिनांक 29.10.2001 एवं तहसीलदार सुजानगढ के आदेश क्रमांक 1370 दिनांक 05.02.2002 की पालना मे पटवारी हल्का द्वारा 01.04.2002 को दर्ज किया गया है। सहायक

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कलक्टर सुजानगढ के निर्णय दिनांक 29.10.2001 के अनुसार वाद गत ख. नं. 187 तादादी 5 बिस्वा भूमि पुराना ख. नं. 105 से व ख. नं. 187 की 10 बिस्वा भूमि अवेध व शून्य है वादगत भूमि ख. नं. 187 की विक्रय की जाकर वर्तमान ख. नं. 178 में शामिल की जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 6 को चिरनिषेधाज्ञा द्वारा वर्जीत किया गया है कि वादीगण के कब्जा काश्त के उपयोग में बाधा न करे, जबकि निर्णय के अनुसरण में पारीत डिक्री मे ख. नं. 187 से कम की जाकर वर्तमान ख. नं. 178 में शामिल की जावे का अंकन किया गया है। उक्त निर्णय के विरूद्व दिनांक 02.04.2002 को भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत हुई जिसमें दिनांक 21.08.2009 को अपील स्वीकार करते हुवे निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2001 को अपास्त किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.07.2010 पारित से पूर्व सहायक कलक्टर सुजानगढ के द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री अपास्त हो चुकी है। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 21.08.2009 के निर्णय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील सं. 6878/2009 प्रस्तुत हुई जिसमें दिनांक 14.09.2009 को आगामी तारीख पेशी तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये। वर्तमान में उक्त प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहा विचाराधीन है अथवा नही इस संबध में अभिभाषक अपीलान्ट ने कुछ नही बताया, तथा इन्टरनेट से भी जानकारी प्राप्त नही हो रही है। ऐसी स्थिति में सहायक कलक्टर के निर्णय दिनांक 29.10.2001 की पालना में स्वीकृत नामान्तकरण सं. 73 दिनांक 02.04.2002 को बहाल रखा जाना उचित नही होगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। विद्वान न्यायालय जिला कलक्टर चूरू का निर्णय दिनांक 08.07.2010 को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 31–08–2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अतिरिक्त संभागीय
आयुक्त,